न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 257/2013

वादी :- बनाम प्रतिवादीगण :-

1. जीवणराम पुत्र पोकरराम
   जाति-जाट निवासी-डिगरना,
   तह.-जैतारण, जिला-पाली(राज.)

1. शंकर पुत्र मंगाराम
   जाति-दरोगा निवासी-डिगरना
2. तहसीलदार जैतारण
   तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, ता0रजू: 22/10/2013

उपस्थितः. 1. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, वादी।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 10/07/2015

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा-डिगरना, पटवार हल्का-डिगरना, तहसील-जैतारण में वादी एवं प्रतिवादी की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 49823 रकबा 6-10 बीघा किस्म गै.मु., खसरा नंबर 504 रकबा 10-16 बीघा किस्म बारानी दोयम की आई हुई हैं। उक्त वर्णित आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती है। नकल जमाबंदी व नक्शा ट्रेस साथ पेश की हैं, जिसे वाद-पत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें। उक्त वर्णित आराजी में वादी का 2/3 हिस्सा है तथा अपने 2/3 हिस्सें अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। परन्तु उक्त आराजी राजस्व रेकर्ड में सामलाती दर्ज है। जिसका कानूनन बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस बंटवाडा नहीं हो रखा है। वाद-पत्र में वर्णित आराजी का कानूनन बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाडा नहीं होने से वादी वादी को अनेकों प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड रहा हैं, जिसमें वादी अपने आराजी को उपजाऊ बनाने व कुआं खुदवाने, बिलजी कनेक्शन लेने एवं अपनी आराजी के चारो तरफ मेडबंदी, तारबंदी करने आदि अनेकों प्रकार की दिक्कतो का सामना करना पडता है। तथा उक्त आराजी का जकब तक कूनन बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा नहीं हो जाता, तब तक वादी अपनी आराजी में उक्त कार्य नहीं कर सकता है। इसलिए वादी का वाद बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया हैं। उक्त वर्णित आराजी का कानूनन बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाडा नहीं होने से प्रतिवादी आये दिन वादी की आराजी में दखल व दस्तन्दाजी करते है तथा मौके की आराजी हडपने की नियत से वादी को आये दिन ऐलानिया धमकी देते है कि वो मौके की आराजी पर कब्जा कर किसी अन्य अजनबी केता को बैचान कर देगा। यदि प्रतिवादी बिना बंटवाडा करवाये उक्त आराजी को किसी अन्य अनबी व्यक्ति को बैचान कर देता हैं, तो मौके पर विवाद बढेगा, मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स् बढेगी एवं वाद अपने जायज हक व अधिकारों से हमेशा के लिये महरुम हो जायेगा। इसलिए वादी के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह वाद बाबत् बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया हैं। दिनांक 07/10/2013 को वादी द्वारा प्रतिवादीगण को उक्त आराजी का कानूनन बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाडा करवाने का कहने पर प्रतिवादीगण ईन्कार हो गये एवं वादी को ऐलानिया धमकी दी कि वो उसे मौके से बेदखल कर सम्पूर्ण आराजी पर अकेला ही कब्जा जमा देगा एवं मौके की आराजी किसी अन्य व्यक्ति को बैचान कर देगा। यदि प्रतिवादी अपने

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

इन गैरकानूनी इरादो मे कामयाब हो जाता हैं, तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नहीं है एवं वादी अपने साम्पैतिक अधिकारों से महरूम हो जायेगा। जबकि प्रतिवादी को उक्त गैरकानूनी कृत्य करने का कोई हक व अधिकार नहीं है। परन्तु फिर भी प्रतिवादी हठधर्मिता एवं लाठी के बल पर उक्त आराजी पर अकेले ही कब्जा जमाना चाहता हैं। जबकि ऐसा गैरकानूनी कृत्य करने का प्रतिवादी को कोई हक व अधिकार नहीं हैं। वादी समस्त विवादों से बचने के लिये यह वाद बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया हैं। प्रतिवादी संख्या दो तहसीलदार, भूमिधारी राजस्थान सरकार जो बंटवाडे के वाद में आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया हैं। जबकि इनके विरुद्ध वादी ने कोई अनुतोष नहीं चाहा है। बिनायवाद दिनांक 07/10/2013 को वादी द्वारा प्रतिवादी को वाद–पत्र में वर्णित आराजी का बंटवाडा करने का कहने पर प्रतिवादी द्वारा ईन्कार होने से बमुकाम–डिगरना तहसील–जैतारण में पैदा हुआ, जो श्रीमान के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार में हैं।

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र – डिगरना में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। सरहद मौजा–डिगरना, पटवार हल्का–डिगरना, तहसील–जैतारण में वादी एवं प्रतिवादी की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 49823 रकबा 6–10 बीघा किस्म गै.मु., खसरा नंबर 504 रकबा 10–16 बीघा किस्म बारानी दोयम भूमि स्थित हैं। जिसमें वादीगण तथा प्रतिवादीगण का माफिक राजस्व रिकॉर्ड हिस्सा आता हैं। इसी अनुसार मौके पर काबिज हैं। इसी अनुसार मौके पर पत्थरगढ़ी नापचौंप कर करावें। तहसीलदार, जैतारण को आदेशित किया कि उक्त आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा / विभाजन प्रस्ताव पेश करें। तहसीलदार, जैतारण ने बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा रिपोर्ट / विभाजन प्रस्ताव मय रूबरू उभय पक्षों व मौतबिरानों के तैयार करवाकर फर्द मौका मय नजरी नक्शा आज दिनांक 10/07/2015 को ही पेश किया, सामिल मिसल किया गया। उभय पक्षकारानों मय वकुलाय को सुना गया। वस्तुतः माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट / विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद डिक्री किया जाना तथा पक्षकारों में विवादित आराजी की भूमि का बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–डिगरना, पटवार हल्का–डिगरना, तहसील–जैतारण में वादी एवं प्रतिवादी की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 49823 रकबा 6–10 बीघा किस्म गै.मु., खसरा नंबर 504 रकबा 10–16 बीघा किस्म बारानी दोयम का निम्नांकित रूप से बंटवाड़ा किया जाता हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	जीवणराम पुत्र पोकरराम कौम–जाट सा0 देह खातेदार। रहन–एम0जी0बी0 शाखा–आ0कालू	498/3 504	4-06-00 7-04-00	गै0मु0 बा0दो0	1.53 रु0 2.26 रु0
	योग	2	11-10-00		3.79 रु0
2	शंकर पुत्र मंगाराम कौम–दरोगा सा0 देह खातेदार।	498/4 504/1	2-04-00 3-12-00	गै0मु0 बा0दो0	0.53 रु0 1.14 रु0
	योग	2	5-16-00	चा0प्र0	1.67 रु0

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट / विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 10/07/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र शिविरि–डिगरना पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमा इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

वादी :- बनाम प्रतिवादीगण :-

1. जीवणराम पुत्र पोकरराम
   जाति-जाट निवासी-डिगरना,
   तह.-जैतारण, जिला-पाली(राज.)

1. शंकर पुत्र मंगाराम
   जाति-दरोगा निवासी-डिगरना
2. तहसीलदार जैतारण
   तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955,

मु0न0 :स0वा0 स0:257/2013

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....-..... व हाजरी श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्दई व मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-डिगरना, पटवार हल्का-डिगरना, तहसील-जैतारण में वादी एवं प्रतिवादी की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 49823 रकबा 6-10 बीघा किस्म गै.मु., खसरा नंबर 504 रकबा 10-16 बीघा किस्म बारानी दोयम का निम्नांकित रूप से बंटवाड़ा किया जाता हैं :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	जीवणराम पुत्र पोकरराम कौम-जाट सा0 देह खातेदार। रहन-एम0जी0बी0 शाखा-आ0कालू	498/3 504	4-06-00 7-04-00	गै0मु0 बा0दो0	1.53 रू0 2.26 रू0
योग		2	11-10-00		3.79 रू0
2	शंकर पुत्र मंगाराम कौम-दरोगा सा0 देह खातेदार।	498/4 504/1	2-04-00 3-12-00	गै0मु0 बा0दो0	0.53 रू0 1.14 रू0
योग		2	5-16-00	चा0प्र0	1.67 रू0

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट / विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जगा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 10/07/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-डिगरना पर जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
(जिला-पाली)

Scanned by CamScanner

(जिला–पाली)

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्धायलाह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	01	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	02	00	महनताना वकील		
महनताना वकील	—	—	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	02	00	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर	—	—	बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा	—	—	मुत्फरिक		
मिजानः–	07	00	मिजानः–		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner